



जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान
JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION & RESEARCH

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

(An Institution of National Importance under Ministry of Health & Family welfare, GOI)

धन्वंतरि नगर, पुदुच्चेरी /Dhanwantari Nagar, Puducherry- 605 006

वेबसाइट/Website: www.jipmer.edu.in

दूरभाष/ /Phone: 0413 – 2296022

फैक्स/Fax: 0413 – 2272067- 2272735



संपदा अनुभाग

सं.जिप./संपदा/2/2024

दिनांक: 19.02.2024

परिपत्र

विषय: जिपमेर आवासीय क्वार्टर के लाइसेंस फ़ीस के एकसमान दर के संशोधन - के संबंध में।

संदर्भ: 1. दिनांक 10.07.2023 का भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, संपदा निदेशालय,

निर्माण भवन, नई दिल्ली का का.जा.सं. 18011/2/2015-पीओ.आई.।।।।

2. पत्रांक 1(1)/ई.ई.(पुदुच्चेरी/2024/94(एच.), दिनांक 27.01.2024.

<><><><><>

क्वार्टर के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि संपदा निदेशालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 01.07.2023 से विभिन्न प्रकार के आवास के लिए लाइसेंस फ़ीस के एकसमान दर के संशोधन के लिए आदेश जारी किया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम. सं.	क्वार्टर का प्रकार	मौजूदा लाइसेंस फ़ीस	संशोधित लाइसेंस फ़ीस	पानी प्रभार	संशोधित दरें		कुल राशि रु.
					सर्वन्ट क्वा.	कार गैरेज	
1.	सी.।। टाइप क्वार्टर	1840	2170	15	180	60	2425
2.	टाइप V-बी क्वार्टर	1490	1750	15	90	60	1915
3.	टाइप V ए./डी.।। क्वार्टर	1400	1650	15	90	60	1815
4.	टाइप IV/ई. टाइप क्वार्टर	750	880	9	-	-	889
5.	टाइप III/एफ. टाइप क्वार्टर	560	660	8	-	-	668
6.	टाइप II (नया)	370	440	8	-	-	448
7.	टाइप II (पुराना)/जी. टाइप क्वार्टर	370	440	8	-	-	448
8.	एच. टाइप क्वार्टर	370	440	8	-	-	448
9.	टाइप I क्वार्टर	180	210	6	-	-	216
10.	एम.एस.आर. क्वार्टर	910	1070	8	-	-	1078
11.	सर्वन्ट क्वार्टर सी.।।	160	180	-	-	-	-
12.	सर्वन्ट क्वार्टर Vबी/Vए एवं डी.।।	80	90	-	-	-	-
13.	कार गैरेज	50	60	-	-	-	-

संशोधित लाइसेंस फ़ीस दिनांक 01.07.2023 से कर्मचारी सदस्यों के वेतन से और दिनांक 01 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की अवधि के लिए बकाया एक किस्त में वसूल किया जाएगा।

इसे निदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्/-

(वी. शिवबालन)

प्रशासनिक अधिकारी

संपदा अनुभाग

सेवा में,

विभागाध्यक्षों/अनुभागों को - कर्मचारियों के बीच परिचालित करने के लिए।

प्रति प्रेषित:

कनिष्ठ लेखा अधिकारी :- वेतन बिल अनुभाग (राजपत्रित/अराजपत्रित) से उपरोक्त दर के अनुसार संबंधित क्वार्टर के निवासियों से फरवरी 2024 से लाइसेंस फीस की संशोधित दर की वसूल करने के अनुरोध के साथ और जिपमेर दिनांक 01 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक का बकाया राशि को भी एक किस्त में वसूल करेगी।

सभी सूचना पट्ट:

1. निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)/ संकायाध्यक्ष (अनु.)/ उप निदेशक (प्रशासन) के निजी सचिव।
2. परियोजना समन्वयक/संकायाध्यक्ष (कारैक्काल)/वरिष्ठ लेखा अधिकारी/वरिष्ठ प्रशा. अधिकारी के वैयक्तिक सहायक/ सभी वार्डनों को।
3. आई.टी. विंग - संस्थान वेबसाइट में अपलोड करने के लिए। प्रभारी अधिकारी, हिन्दी सेल - उक्त प्रति को हिन्दी में अनुवाद करके और जिपमेर वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।
4. ई.ई. सिविल/इलेक्ट्रिकल सी.पी.डब्ल्यू.डी., जिपमेर परिसर।